बिहार सरकार
समाहरणालय, जमुई
(जिला बाल संरक्षण इकाई)

सचिव, समाज कल्याण, बिहार, पटना के मार्गदर्शिका ज्ञापांक–748 एवं पत्रांक–749, दिनांक–24.04.2026 के आलोक में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 एवं पॉक्सो नियम, 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों का अस्थायी पदों पर सूचीबद्ध करने हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

विज्ञापन सं०–02/2026

Name of Post	Category wise breakup	Minimum Educational Qualification	Work Experience	Age Limit as on 01.06.26	Honorarium Per Case
सहायक व्यक्ति (Support Person)	**Total Requirement-15** **SC/ST-4** (Male-2, Female-2) **Minority-3** (Male-2, Female-1) **BC/EBC-3** (Male-2, Female-1) **UR-5** (Male-3, Female-2)	समाजिक कार्य (MSW)/समाज शास्त्र/मनोविज्ञान/बाल विकास या विधि में स्नातकोत्तर या बाल अधिकार/परामर्शन में डिप्लोमा के साथ किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री के साथ–साथ तीन वर्ष का अनुभव	बाल अधिकार/बाल संरक्षण/विधिक कार्य/सामाजिक–कार्य/बाल मनोविज्ञान परामर्शदाता/समाजशास्त्र/मनोविज्ञान के क्षेत्र में कम–से–कम तीन वर्ष का वांछनीय कार्यानुभव। जिला विधिक सेवा प्राधिकार/बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार/जिला बाल संरक्षण इकाई/बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड/पॉक्सो न्यायालय अथवा चाइल्ड लाईन/चाइल्ड हेल्पलाईन सेवाओं में कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।	न्यूनतम 30 वर्ष अधिकतम 65 वर्ष	9000/– प्रति वाद (पारिश्रमिक एवं यात्रा व्यय सहित जो विहित प्रक्रिया के माध्यम से देय होगा)

1. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विहित प्रपत्र में सम्पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ दिनांक 15.07.2026 के शाम 05.00 बजे तक सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय, जमुई, श्याम हाईट्स भवन के प्रथम तल पर के०के०एम० कॉलेज के निकट, जमुई, बिहार–811307 के पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात तथा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगें।
2. जमुई जिले के मूल निवासी ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
3. आवेदन पत्र भेजने के क्रम में लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में **"सहायक व्यक्ति के Empanelment हेतु आवेदन पत्र एवं विज्ञापन संख्या"** का उल्लेख अवश्य करेंगे। विहित प्रपत्र में आवेदन नहीं करने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।
4. केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत वैध संस्थाओं अथवा नीति आयोग पर पंजीकृत गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सक्षम प्राधिकार के कार्यालय पत्रांक एवं दिनांक के साथ निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
5. आवेदक के विरूद्ध भारत में कहीं भी अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हो तथा वह कभी भी नैतिक दुराचार का दोषी नहीं रहा हो साथ ही बाल संरक्षण अथवा बाल विकास के क्षेत्र

में कार्य कर रहे किसी संस्थान से निष्कासित नहीं किया जाना अथवा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का आशय का शपथ–पत्र आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए।

6. साक्षात्कार की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य होगा।

7. विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का विहित प्रारूप जिले के अधिकारिक वेबसाइट https://jamui.nic.in पर देखा जा सकता है। मेधा सूची, साक्षात्कार से संबंधित सूचना एवं अनुशंसित व्यक्तियों की सूची इत्यादि सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रकाशन समय–समय पर उक्त वेबसाईट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा।

8. **चयन प्रक्रियाः**–सहायक व्यक्तियों के पैनल निर्माण हेतु चयन की प्रक्रिया निम्नवत हैः–
मूल्यांकनः स्नातक के लिए 50 अंक, स्नातकोत्तर के लिए 20 अंक एवं P.hd. के लिए 10 अंक

कुल–80 अंक
साक्षात्कार के लिए अधिकतम– 20 अंक

I. शार्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो न्यायालय) की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

9. **सूचीबद्धता की अवधिः**– सूचीबद्ध सहायक व्यक्ति का कार्य अवधि अधिकतम 02 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक (दोनों में से जो पहले हो) के लिए होगा।

10. **अन्य शर्तेः**–

I. इस पैनल के आधार पर सूचीबद्ध सहायक व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सरकारी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। सूचीबद्ध सहायक व्यक्तियों द्वारा सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही अगली सूचीबद्धता के लिए पुनः नये सिरे से प्रक्रिया में भाग लेना होगा।

II. सहायक व्यक्ति की सूचीबद्धता गठित चयन समिति के द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका बिहार–2026 के अनुसार सम्पूर्ण की जायेगी।

III. इस विज्ञापन को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

15/06/26

सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण इकाई
जमुई।

पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 39 के अंतर्गत सहायक व्यक्ति (Support Person) के पैनल में सूचीबद्धता हेतु आवेदन प्रपत्र

विज्ञापन संख्या–02/2026

कार्यालय उपयोग हेतु (अनुक्रमांक ....आवेदन प्राप्ति की तिथि ....)

1. आवेदित पद का नामः–
2. आवेदक का नामः–
   (क) हिन्दी मेंः–
   (ख) अंग्रेजी में बड़े अक्षरों मेंः–
3. जन्म तिथिः–
4. पिता/पति का नाम :–
5. कोटि (सामान्य/पि०व०/अ०पि०व०/अनु०जा०/अनु०जन०जा०) :–
6. लिंगः– पुरूष/महिला/अन्य :–
7. राष्ट्रीयताः–
8. वर्त्तमान पत्राचार का पता (पिन कोड, ई–मेल, दूरभाष सहित):–

9. स्थायी पत्राचार का पता (पिन कोड, ई–मेल, दूरभाष सहित):–

10. शैक्षणिक योग्यता (सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

क्र०	शैक्षणिक योग्यता	विषय/संकाय	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक/कुल अंक	प्रतिशत (%) अंक	बोर्ड/विश्वविद्यालय/महाविधालय का नाम
01.	मैट्रिक या समकक्ष					
02.	इण्टरमीडिएट					
03.	स्नातक					
04.	स्नातकोत्तर					
05.	P.hd.					
06.	अन्य					

11. कार्य अनुभव विवरणीः– (सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

क्र०	संस्थान का नाम, पता, दूरभाष तथा ई–मेल	पदनाम	कार्य अवधि वर्ष/माह/दिन	कार्य विवरणी

12. संलग्न किये गये कागजातों की सूचीः–

1		2	
3		4	
5		6	
7		8	
9		10	

13. घोषणाः– मैं .... एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त अंकित सभी तथ्य एवं सूचना सही है। मेरे विरूद्ध कहीं भी कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है तथा मैं कभी भी अनैतिक दुराचार (Moral Turpitude) में दोषी नहीं पाया गया/पायी गयी हूँ। यदि कोई प्रवृष्टि/सूचना असत्य पाई जाती है तो मेरी अभ्यर्थिता/सूचीबद्धता रद्द की जा सकेगी एवं मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। मैं "सहायक व्यक्ति के लिए दिशा–निर्देश, बिहार 2026" में वर्णित शर्त्तों एवं दायित्वों का पालन करने हेतु सहमत हूँ।

अनुलग्नक कुल .... पन्ने संलग्न।

दिनांक – ....

स्थान :– ....

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर